

<><><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत और स्लोवाकिया की मित्रता का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने सम्मान को भारत के एक सौ चालीस करोड़ नागरिकों को समर्पित किया।
- मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार स्पाइस प्रवाह 2.0 के अंतर्गत मसाला फसलों के पौधारोपण कार्यक्रम का कल शुभारम्भ करेंगे।
- सांसद बिष्णु पद रे ने एक सौ सत्ताइस करोड़ रुपये की विकास निधि सरेंडर होने पर चिंता व्यक्त की। कैपिटल हेड बजट में आवंटित धनराशि खर्च न होने पर सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा।
- मत्स्य निदेशालय द्वारा 2026-27 के लिए अनिवार्य मत्स्य पालन योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू। मछुआरों को मत्स्य सामग्री पर पचास से पिचहत्तर प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

<><><><><><><><>

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास" से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के एक सौ चालीस करोड़ नागरिकों और भारत-स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा।

<><><><><><><><>

कृषि विभाग द्वारा कल 'स्पाइस प्रवाह 2.0' के तहत मसाला फसलों के व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी अवसर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ब्लूमसडेल, छोलदारी में सुबह 9 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर द्वीप समूह के मुख्य सचिव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और सांकेतिक रूप से पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना तथा किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाओं से जोड़ना है। आरकेवीवाई के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को कृषि यंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा, जिससे खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में किसानों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

<><><><><><><><>

दूरदर्शन केंद्र, श्री विजयपुरम की ओर से कल शाम साढ़े पांच बजे से लाइव फोन-इन कार्यक्रम 'पेट टॉक-बियॉन्ड द बॉन्ड' का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय "पशुपालन के माध्यम से आजीविका अर्जन" रखा गया है। इस कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु रोग निदान प्रयोगशाला एवं पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागनाथ मार्तंड भोजने विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। वे पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, डेयरी एवं अन्य पशुधन आधारित आजीविका से जुड़े विषयों पर दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। दर्शक कार्यक्रम के दौरान फोन नम्बर 245-662 अथवा 244-745 पर डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा कैपिटल हेड के अंतर्गत लगभग एक सौ सत्ताइस करोड़ रुपये की विकास निधि उपयोग न कर सरेंडर किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदारी तय करने और मामले की व्यापक समीक्षा कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लगभग पांच सौ पचपन करोड़ रुपये के पूंजीगत बजट में से बड़ी राशि खर्च नहीं हो सकी और अंततः वापस करनी पड़ी। उनके अनुसार अंडमान लोक निर्माण विभाग ने छत्तीस

दशमलव आठ चार करोड़ रुपये, शिपिंग विभाग ने बीस करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग ने उन्नीस दशमलव चार तीन करोड़ रुपये, आपदा प्रबंधन विभाग ने बारह दशमलव आठ एक करोड़ रुपये, राज्य परिवहन सेवा ने नौ दशमलव एक एक करोड़ रुपये, विद्युत विभाग ने सात दशमलव दो एक करोड़ रुपये तथा शिक्षा विभाग ने चार दशमलव पांच नौ करोड़ रुपये सरेंडर किए। पिछले पांच वर्षों में प्रशासन द्वारा यूटी कैपिटल हेड के तहत लगभग सात सौ पांच करोड़ रुपये तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दौ सौ तीन करोड़ रुपये, यानि कुल नौ सौ आठ करोड़ रुपये की राशि उपयोग नहीं हो सकी।

<><><><><><><>

मत्स्य निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश योजना के अंतर्गत 'अनिवार्य मत्स्य पालन' योजना के तहत द्वीपसमूह के वास्तविक (बोनाफाइड) मछुआरों को आवश्यक मत्स्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2026-27 हेतु पात्र मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत गैर-जनजातीय श्रेणी के मछुआरों को मत्स्य सामग्री की इकाई लागत का पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसमें गैर-मशीनीकृत नौकाओं के लिए अधिकतम पन्द्रह सौ रुपये तथा मशीनीकृत नौकाओं के लिए अधिकतम तीन हजार रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है। वहीं, जनजातीय श्रेणी के लाभार्थियों को इकाई लागत का पिचहत्तर प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा गैर-मशीनीकृत नौकाओं के लिए दो हजार दो सौ रुपये तथा मशीनीकृत नौकाओं के लिए चार हजार तीन सौ रुपये तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अंड़मान एवं निकोबार द्वीपसमूह का बोनाफाइड मछुआरा अथवा जनजातीय समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। उसके पास पंजीकृत मशीनीकृत या गैर-मशीनीकृत मत्स्य नौका तथा वर्तमान वर्ष सहित लगातार दो वर्षों का वैध मत्स्य लाइसेंस होना चाहिए। इच्छुक मछुआरे आवेदन पत्र एवं योजना की विस्तृत शर्तें मत्स्य कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 30 जून तक संबंधित कार्यालयों में जमा करने होंगे। आवेदन पत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

<><><><><><><>

भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा कल एवं 18 जून को अंडमान सागर में अभ्यासात्मक मिसाइल फायरिंग की जाएगी। इस संबंध में नागरिकों को विशेषकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सूचना के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 18 जून को सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मिसाइल फायरिंग का अभ्यास निर्धारित है। अभ्यास के दौरान अंडमान सागर का एक निर्धारित समुद्री क्षेत्र प्रभावित रहेगा। नौसेना अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभ्यास अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र 'नो-फ्लाई जोन' रहेगा। इसके साथ ही सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><>